न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
360 / 2022 / प्रार्थना पत्र	2022 / 445	29.07.2022	11.02.2026

अनवान

1– रामनारायण पुत्र छोगा जाति तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– रामेश्वर पुत्र छोगा जाति तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– कालू पुत्र धन्ना रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– गोपाल पुत्र धन्ना रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– मु बरजी पत्नी धन्ना रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– बालमुकन्द पुत्र धन्ना रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– मु. मायादेवी पत्नी अशोक कुमार महत्तर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– देबीलाल पिता सुवा रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– रामकिशन पिता सुवा रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– नन्दू देवी पत्नी सुवा रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9– आशाराम पुत्र मोडा रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10– गोविन्द पुत्र गोपाल रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
11– चेतन पुत्र मोडा रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
12– मु. नर्बदा पत्नी गोपाल रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
13– मु. पूजा पुत्री गोपाल पत्नी नौरत रेगर हाल निवासी बैरी ग्राम पंचायत बावड़ी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
14– मु. पुष्पा पुत्री गोपाल पत्नी कालू रेगर निवासी कोठिया 04–24 तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
15–. मूलचन्द पुत्र गोपाल रेगर निवासी उदयभान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
16– मु. रामकन्या पत्री मोडा पत्नी प्रहलाद रेगर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
17– रामस्वरूप पुत्र मोडा रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
18– समीर पुत्र छोगा रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
19– सांवर पुत्र गोपाल रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
20– मु. आशा पुत्री लादू पत्नी महावीर रेगर निवासी टिठोड़ी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
21– ओमप्रकाश पुत्र घीसा रेगर निवासी उदयभान गेट रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
22– मु. कमला पुत्री मोहन पत्नी जगदीश रेगर निवासी भगवानपुरा पंचायत रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
23– मु. कान्ता पुत्री घीसा पत्नी नाथू रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
24– मु. गीता पुत्री मोहन पत्नी शंकर रेगर निवासी अरनिया रासां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
25– ज्ञानचन्द पुत्र बद्रीलाल रेगर निवासी उदयभान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
26– दिलखुश पुत्र लादू रेगर निवासी उदयभान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

27– बबलू पुत्र लादू रेगर निवासी उदयभान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
28– मु. मैना पुत्री लादू पत्नी रमेश रेगर निवासी पलासिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
29– रामगोपाल पुत्र बद्रीलाल रेगर निवासी उदयभान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
30. रामदेव पुत्र लादू रेगर निवासी उदयभान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
31– रामनिवास बद्रीलाल रेगर निवासी उदयभान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
32– मु. लाली पुत्री मोहन पत्नी भैरू रेगर निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
33– मु. शांतिदेवी पत्नी लादू रेगर निवासी उदयभान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
34– प्रहलाद पुत्र सोहनलाल रेगर निवासी उदयभान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
35– देवकिशन पुत्र सोहनलाल रेगर निवासी उदयमान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
36– रामदेव पुत्र सोहनलाल रेगर निवासी उदयभान गेट, रेगर बस्ती, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
37– मु. कन्या पुत्री सोहनलाल पत्नी राधेश्याम रेगर निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
38– मु. मनभर देवी पत्नी सोहनलाल रेगर निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
39– श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा भीलवाड़ा
40– श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा शाहपुरा
41– तहसीलदार शाहपुंरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –	श्री त्रिलोकचंद नौलखा	–अभिभाषक प्रार्थीगण
	विपक्षीगण सं0 1 से 40	–एकतरफा कार्यावाही
	विपक्षीगण सं0 41	–पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 2546 व पुराना 2376 में आरानं. 8751 रकबा 0.47 है. स्थित प्रार्थी अपनी पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी में आराजी नं. 4590 रकबा 0.14 गै.मु. रास्ते से होते हुए बदिशा दक्षिण की ओर आराजी नं. 8709 रकबा 0.11 गै.मु. धोरा से होते हुए विपक्षीगण नं. 01 लगायत 05 व सुवा पुत्र भैरू रेगर की आरानं. 8732 रकबा 0. 14 है. व आराजी नं. 8733 रकबा 0.25 है. कुल किता 02 रकबा 0.39 है. की पश्चिमी मेर व विपक्षीगण नं. 09 लगायत 19 के खातेदारी की आरानं. 8734 रकबा 0.55 है., आरानं. 8748 रकबा 0.76 है. आराजी नं. 8749 रकबा 0.08 है. कुल किता 03 रकबा 1.39 है. की पूर्वी मेर से होते हुए विपक्षीगण नं. 20 लगायत 33 व सोहनलाल पुत्र घीसा रेगर के के खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 8750 रकबा 0.28 है. की पश्चिमी मेर व आरानं. 8749 की पूर्वी मेर से होते हुए प्रार्थीगण अपनी आराजी नं. 8751 की उत्तरी पश्चिमी मेर पर कृषि उपकरण लाते ले जाते रहे है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी आराजी को काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचने हेतु यही एक मात्र रास्ता है, प्रार्थीगणों के पास अपनी पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी तक पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार श्री सुवा पिता भैरू रेगर व सोहन पुत्र घीसा रेगर की मृत्यु हो चुकी है। मृतक के वारिसान् को मृतक की जगह विपक्षीगण बनाया गया है। विपक्षीगण नं. 39 व 40 के यहां विपक्षीगणों की आराजियात् रहन होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण अपनी

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

आराको काश्त करने हेतु व कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु पैरा नं. 02 में वर्णित अनुसार रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे थे परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण दिनांक 15.06.2022 को विपक्षीगणों द्वारा उपरोक्त रास्ते को कांटों की बाड़ लगाकर पूर्ण रूप से बन्द कर दिया और प्रार्थीगण को वहां से निकलने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी आराजी को काश्त करने से वंचित हो रहे है। प्रार्थीगणों के वैकल्पिक मार्ग की अनुपलब्धता होने से प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण काश्तकार है जिनका परिवार उक्त आराजी की आय पर निर्भर है। प्रार्थीगणों को पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता लघुतम होकर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से यदि प्रार्थीगणों को उनकी आराजी पर कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी को काश्त करने से महरूम हो जायेंगे व उनके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा। इस कारण प्रार्थीगणों को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। प्रार्थीगणों की आराजी पर कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ते को राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगणों की आराजी पर कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ता 10 फिट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है उक्त रास्ते की भूमि की नियमांनुसार डीएलसी दर से राशि अदा करने को तैयार है। आराजी नं. 8709 गै.मु. धोरा है, उसमें पानी निरन्तर चलता रहे इस हेतु जहां से रास्ता निकलेगा वहां प्रार्थीगण सिमेन्ट का पाईप धोरे में लगाकर पानी के बहाव की निरन्तरता को यथावत रखने को तैयार है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए पैरा नं. 01 में वर्णित आरामें पहुंचने हेतु पैरा नं. 02 में वर्णित अनुसार –10 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे उसका डीएलसी दर से राशि जमा कराने का आदेश कर रास्ते का इन्द्राज नक्शे व जमाबंदी में किये जाने का आदेश बक्षावें। आरानं. 8709 गै.मु. धोरा है, उसमें प्रार्थीगण सिमेन्ट का पाईप लगाकर घोरे को यथावत रखे जाने का भी आदेश बक्षावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया।

विपक्षीगण सं. 01 लगायत 40 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में प्राप्त भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा की मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 8751 तक आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है। रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। एवं प्रस्तावित रास्ता निकटतम रास्ता है। आराजी नम्बर 8709 बिलानाम किस्म गेमु. धोरा में उम्मेदसागर की नहर है जिसमें पानी की नहर छोड़ने के समय बहाव रहता है। प्रार्थी सीमेंट के पाईप लगाकर उपर से रास्ता चाहता है।

भू0अ0निरीक्षक द्वारा ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण की खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 8734 रकबा 0.55 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0128 हैक्टेयर (209.12 फीट गुणा 13.12 फीट/2743.65 वर्ग फीट), आराजी नम्बर 8748 रकबा 0.76 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता हेतु 0.0104 हैक्टेयर (170.56 फीट गुणा 13.12 फीट/2273.74 वर्ग फीट), 8749 रकबा 0.08 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता हेतु 0.0004 हैक्टेयर (13.12 फीट गुणा 13.12 फीट/172.13 वर्ग फीट) एवं 0.0058 है0 (95.12 फीट गुणा 13.12 फीट/1247.97 वर्ग फीट), आराजी नम्बर 8732 रकबा 0.14 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0072 है0 (118.08 फीट गुणा 13.12 फीट/1549.21 वर्ग फीट), आराजी नम्बर 8733 रकबा 0.25 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0156 है0 (255.84 फीट गुणा 13.12 फीट/3355.62 वर्ग फीट) एवं आराजी नम्बर 8750 रकबा 0.28 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0060 है0 (98.40 फीट गुणा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

13.12 फीट/1291 वर्ग फीट) तथा बिलानाम आराजी नम्बर 8709 रकबा 0.11 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0020 है0 (16.40 फीट गुणा 13.12 फीट/215.17 वर्ग फीट) इस प्रकार नवीन रास्ता हेतु कुल किता 7 रकबा 2.17 हैक्टेयर में से 0.0602 है0 (602 वर्ग मीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:-
प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। एवं रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि:-

1. प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक होकर प्रार्थीगण ने अपने सुवधिजनक उपयोग के लिए रास्ते की मांग नहीं की है।
2. प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तुत भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा चाहे रास्ते अनुसार मौके पर रास्ता मौजूद है।
4. खसरा संख्या 8705 किस्म धोरा में पानी की नहर छोड़ने के समय बहाव रहता है। चूंकि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंच हेतु उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त धोरा में से नहर के पानी के बहाव में रूकावट न हो इस हेतु संबंधित विभाग से नियमानुसार सीमेन्ट के पाईप डालने की अनुमति प्राप्त कर उक्त आराजी 8709 में से रास्ता दिया जाना न्यायालय उचित समझता है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थीगण की पर पहुंच खातेदारी आराजी पर पहुंच वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुष्टि भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव अनुसार इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण की आराजी संख्या 8734 रकबा 0.55 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0128 हैक्टेयर (209.12 फीट गुणा 13.12 फीट/2743.65 वर्ग फीट), आराजी नम्बर 8748 रकबा 0.76 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता हेतु 0.0104 हैक्टेयर (170.56 फीट गुणा 13.12 फीट/2273.74 वर्ग फीट), 8749 रकबा 0.08 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता हेतु 0.0004 हैक्टेयर (13.12 फीट गुणा 13.12 फीट/172.13 वर्ग फीट) एवं 0.0058 है0 (95.12 फीट गुणा 13.12 फीट/1247.97 वर्ग फीट), आराजी नम्बर 8732 रकबा 0.14 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0072 है0 (118.08 फीट गुणा 13.12 फीट/1549.21 वर्ग फीट), आराजी नम्बर 8733 रकबा 0.25 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0156 है0 (255.84 फीट गुणा 13.12 फीट/3355.62 वर्ग फीट) एवं आराजी नम्बर 8750 रकबा 0.28 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0060 है0 (98.40 फीट गुणा 13.12 फीट/1291 वर्ग फीट) तथा बिलानाम आराजी नम्बर 8709 रकबा 0.11 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0020 है0 (16.40 फीट गुणा 13.12 फीट/215.17 वर्ग फीट) इस प्रकार नवीन रास्ता हेतु कुल किता 7 रकबा 2.17 हैक्टेयर में से 0.0602 है0 (602 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि संबंधित अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त मुताबिक प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। **आराजी खसरा संख्या 8709 किस्म धोरा में से नहर के पानी के बहाव में**

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

रूकावट न हो इस हेतु संबंधित विभाग से नियमानुसार सीमेन्ट के पाईप डालने की अनुमति प्राप्त कर सीमेंट के पाईप डालने के पश्चात ही रास्ते रूप में उपयोग में लिया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 11.02.2026 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :—

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा